


|             |   |  |
|-------------|---|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><b>बालू बनाम सरकार</b><br>प्रार्थना पत्र संख्या 160/2019(जीसीएमएस नम्बर 2019/00192) | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामील में<br>जारी हुए |
|-------------|---|--|

07.03.22

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 01.05.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार आमेर जिला जयपुर को निर्देशित किया जा चुका है कि अपीलान्ट के पूर्वज के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर हाल 430 का रकबा गत साबिक खसरा नम्बर 148/387 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावें। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 01.05.2019 में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतित नही होती है जिसे पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरुस्त किया जा सकें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

  
 (दिनेश कुमार यादव)  
 संभागीय आयुक्त  
 जयपुर